



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-06.04.2024

जनपद अम्बेडकरनगर-थाना को0 जलालपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/23 धारा 8/20 NDPS ACT मे सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय डा0 कौस्तुभ के द्वारा चलाये जा रहे “नशा मुक्ति अभियान” के अन्तर्गत आज दिनांक 06.04.2024 को थाना को0 जलालपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र गुप्ता निवासी मोहल्ला गंजा थाना कोतवाली जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ समय करीब 12.00 बजे कोटिया उस्मापुर मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-112/23 धारा 8/20 NDPS ACT से पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

विवरण नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र गुप्ता निवासी मोहल्ला गंजा थाना कोतवाली जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर

बरामदगी -- 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा

विवरण आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 112/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 212/23 धारा 379 भादवि थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम(थाना को0 जलालपुर)-

1. उ0नि0 सचिव कुमार मौर्य थाना को0 जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. उ0नि0 शिव प्रसाद यादव थाना को0 जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर
3. हे0का0 वरुण कुमार थाना को0 जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर
4. का0 शिवम कुमार थाना को0 जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर